5 COURT FEE INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

1 Re. 50 P. COURT FEE भारत INDIA १ रुपया ५० पैसे 1 RUPEE 50 PAISE

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

100

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर [म0प्र0]

प्र. क्र. /95 निगरानी

RM/4-21/R/1087/95

बेजुद्दीन पुत्र करीमुद्दीन मुसलमान
निवासी बालापुरा तहसील श्योपुरकलां
जिला मुरैना [म.प्र.]

---- आवेदक

विरुद्ध

शासन मध्य प्रदेश द्वारा श्री अनुविभागीय
अधिकारी श्योपुरकलां जिला मुरैना

---- अनावेदक

क्रमांक ....
श्री ... 9.8.1995
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

10/11/95

निगरानी विरुद्ध आज्ञा श्री अपर आयुक्त महोदय चम्बल
संभाग ग्वालियर तारीखी 29-6-95
अन्तर्गत धारा 50- भूराजस्व संहिता

माननीय महोदय,

श्रीमान जी निगरानी आवेदक निम्न कारणों द्वारा प्रस्तुत है:-

1- यहकि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत तथा फाइंडिंग परवर्स होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरुप को ठीक प्रकार से नहीं समझा इस कारण आवेदक न्याय पाने से वंचित रहा है व उसकी अपील अवधि बाहर करार देकर निरस्त कर दी गई है।

3- यहकि, अपर कलेक्टर महोदय की न्यायालय में अपील अगर श्रवण किए जाने योग्य नहीं थी तो अपील अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाना चाहिए था अपील को खारिज करने का अपर कलेक्टर म-

(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1087/95 निगरानी जिला श्योपुर कलॉं

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-5-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण नंबर 284/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28–6–95 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसे विलम्ब से प्रस्तुत होना पाते हुये निरस्त किया गया है। 2/ प्रकरण के अवलोकन पर एंव आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर मनन् करने से स्थिति यह है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर कस्वा श्योपुर (नगरपालिका) क्षेत्र स्थित भूमि सर्वे कमांक 201, 202, 206 पर स्वंय् का बेजा कब्जा शासकीय अभिलेख में दर्ज करने की मांग करने पर विचारण न्यायालय ने आवेदक का आवेदन अमान्य किया है, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 26/90–91 में पारित आदेश दिनांक 30.9.91 से अपील निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने त्रृटि करके अपर कलेक्टर के समक्ष अपील कमांक 13/91–92 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 29–6–13 से निरस्त हुई, जबकि संहिता की धारा–44 में दी गई व्यवस्था अनुसार अनुविभागीय अधिकारी के अपील में पारित आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील अपर कलेक्टर के बजाय अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिये थी, इसलिये अपर आयुक्त ने आदेश दिनॉक 28–6–95 से विनिश्य किया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर के समक्ष विलम्ब से प्रस्तुत अपील अपर आयुक्त के समक्ष भी विलम्ब से	

प्रस्तुत होना मानी जावेगी।

3/ यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी में गुणदोष पर विचार किया जाय ? विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक की मांग यह है कि कस्वा श्योपुर (नगरपालिका) क्षेत्र स्थित भूमि सर्वे कमांक 201, 202, 206 (जो कि अभिलेख में कब्रिस्तान मद की, आम रास्ता मद की दर्ज है) पर आवेदक का अतिक्रमण अंकित कर दिया – आवेदक की मांग अनुचित है। जो भूमि कब्रिस्तान मद की, आम रास्ता मद की सार्वजनिक निस्तार हेतु सुरक्षित है एंव नागरिकों के सुखाचार की है उस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा दर्ज नहीं किया जा सकता, जिसके कारण विचारण न्यायालय ने आवेदक का कब्जा दर्ज करने का आवेदन निरस्त कर नियमानुकूल कार्य किया है और इन्हीं कारणों से आवेदक की अनुचित मांग नही मानी जा सकती।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 284/1992–93 अपील में पारित आदेश दिनॉक 28–6–95 हस्तक्षेप योग्य नहीं है। फलतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

सदस्य